Vice Presidential Election/Immediate
By Special Messenger/Speed Post

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं.481/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या. /द्विवार्षिक/2017

दिनांक: 25 जुलाई, 2017

सेवा में,

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी और
महा-सचिव, राज्यसभा,
संसद भवन, नई दिल्ली।

विषय: उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन-2017 - मतदान कार्यवाहियों सहित संवेदनशील घटनाओं की वीडियोग्राफी - तत्संबंधी

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने निर्णय लिया है कि चल रहे उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के दौरान रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संवेदनशील घटनाओं की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

वीडियोग्राफी के प्रयोजन हेतु सरकारी मंत्रालय/विभाग के वीडियोग्राफर की सेवाएं लेने को वरीयता दी जाएगी। यदि किसी अपवादिक मामले में, किसी प्राइवेट वीडियोग्राफर की सेवाओं का प्रयोग किया जाना है तो इस प्रयोजन हेतु उसे परिनियोजित करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी उस एजेंसी की और संबंधित व्यक्ति की विश्वसनीयता के सत्यापन का विधिवत ध्यान रखेंगे। निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकारियों की तरह ही वीडियोग्राफर को भी एक पहचान बैज जारी किया जाएगा, जिसको उसे ड्यूटी पर होने के समय स्वयं पर सुस्पष्ट ढंग से प्रदर्शित करना होगा।

2. वीडियो कवरेज में अन्य पहलुओं एवं दृश्यों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल होगा:

I. आयोगसे मतदान हेतु मत पेटी/मत-पत्र, एवं अन्य निर्वाचन सामग्री, यदि कोई हो, प्राप्त करने के बाद उसे स्ट्रांग रूम में भंडारित करना और स्ट्रांग रूम को सील करना।

II. मतदान दिवस पर मतपेटी और मत-पत्रों आदि को मतदान स्थल पर शिफ्ट करने के लिए स्ट्रांग रूम को खोलना।

III. मतदान प्रारंम्भ होने से ठीक पहले मतदान स्थल की वास्तविक स्थिति,मतपेटी (पेटियां),पीठासीन अधिकारी एवं अन्यअधिकारियों, अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों और आयोग के प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्थातथा वास्तविक मतस्थल के बाहर प्रतीक्षारत निर्वाचकों एवं मतदान स्थल में/से निर्वाचकों के प्रवेश और निकास की व्यवस्था दर्शाते हुए मतदान स्थल की वास्तविक स्थापना करना। वीडियोग्राफी में मत की गोपनीयता बनाए रखने कीदृष्टि से, मतदान कम्पार्टमेंट की स्थिति और बैठने की व्यवस्था स्पष्टदिखाई देनी चाहिए।

IV. प्रेक्षक और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदान प्रारंभ होने से पहले खाली मतपेटी एवं मतदान करवाने के प्रयोजनार्थ मतपेटी को सील करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करना।

V. मतदान प्रक्रिया का वास्तविक अनुक्रम- निर्वाचक का आगमन, निर्वाचकों की सूची चिह्नित करना, सूची पर हस्ताक्षर करना, मत-पत्र जारी करना, मतदान कंपार्टमेन्ट में प्रवेश और मतपेटी में मत-पत्र डालना एवं निर्वाचक का प्रस्थान।किन्तु, यह प्रक्रिया प्रत्येक निर्वाचक के लिए अपनाने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल मतदान के किसी विशिष्ट स्थान पर मतदान प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुमान लेने के लिए है।

VI. मतदान की समाप्ति पर मतपेटी को और अन्य निर्वाचन रिकार्ड को सील करना

3. इसके अतिरिक्त, मतदान होते समय, यदि कोई ऐसी घटना घटित हो जिससे मतदान प्रक्रिया के अनुपालन सहित मतदान के सुव्यवस्थित और सुचारू संचालन पर कोईविपरित प्रभाव पड़ सकता हो,तोउसकी भी वीडियो बनाई जाएगी। ऐसा होने की स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षकों को सक्रिय भूमिका निभानी होती है। इस प्रकार की घटना होने पर वे स्वयं वीडियोग्राफर को निदेश देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उस घटना की वीडियो बना ली जाए।

4. प्रेक्षक स्वयं वीडियो कवरेज की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। किन्तु, किसी भी स्थिति में वीडियो कवरेज करने से, मत की गोपनीयता जोखिम में कतई नहीं पड़नी चाहिए। मतदान प्रक्रिया की वीडियो बनाते समय वीडियोग्राफर को लोंग और मिड-लोंग शाट्स, पैन शाट्स लेने चाहिए और किसी व्यक्तिगत मतदाता पर फोकस नहीं करना चाहिए और न ही उसे फोकस करने में जूमिन्ग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, विशेषकर, तब जब कोई मतदाता मत-पत्र पर अपना मत चिह्नितकर रहा हो।

5. उपर्युक्त वीडियो कवरेज समाप्त होने के पश्चात, कैसेट/सीडी/डीवीडी (डीवीडी को अधिमान दिया जाना चाहिए) प्रेक्षक की उपस्थिति में एक अलग लिफाफे में सुरक्षित रखी जाएगी और लिफाफे को सील कर दिया जाना चाहिए। लिफाफे के उपर ''वीडियो सामग्री'' लिखा जाएगा।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव